न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
MIDDLE INCOME GROUP LEGAL AID SOCIETY

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता समिति

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन
NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

OFFICE - M.P. High Court Legal Services Committee, Adminstrative Block, Jabalpur Madhya Pradesh-482 001

कार्यालय – म.प्र. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, प्रशासकीय भवन, जबलपुर मध्य प्रदेश – 482001

Registered under M.P. Society Registrikaran Adhiniyam, Registered Act1973 (44 of 1973)
(The donation to the Society is exempted under Section 80 G of the Income Tax Act, 1961)

Telephone No. 0761-2720380, 2622674 2626734, Fax No.2626859 e-mail id - mphc@nic.in

म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत (1973 का 44)
(आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी अंतर्गत समिति को प्रदत्त दान पर छूट प्राप्त है)

दूरभाष – 0761–2720380, 2622674 2626734, फैक्स – 2626859 ई–मेल – mphc@nic.in

MIDDLE INCOME GROUP SCHEME

1

This scheme to provide legal services to the middle income group "citizens" i.e. citizens whose gross income is not exceeding Rs.75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand) p.m. or Rs.9,00,000/- (Rupees Nine Lakhs) p.a.

DEFINITION.

(a) The Scheme is known as "HIGH COURT OF MADHYA PRADESH MIDDLE INCOME GROUP LEGAL AID SCHEME". The scheme is self supporting and the initial capital of the Scheme shall be contributed by the first Executive Committee.

(b) The expression "Society" means the High Court of Madhya Pradesh Middle Income Group Legal Aid Society registered under the M.P. Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (44 of 1973).

SCHEDULE OF FEE

The schedule of fee and expenses as appended to the Scheme shall be in force and is liable to be amended by the Society from time to time.

CONSTITUTION OF EXECUTIVE COMMITTEE

THE OFFICE BEARERS OF THE SCHEME - Under the Rules and Regulations of the Society, the Chief Justice shall nominate a sitting Judge of the High Court to be the President and the Advocate General shall be the Ex-Officio Vice President of the Society. Eleven Members of the Executive Committee including the Secretary and the Treasurer shall be the members of the Executive Committee for a period of three years. On expiry of the said period, or at any time earlier as thought fit by the Hon'ble Chief Justice can re-constitute the Executive Committee. The Hon'ble Chief Justice can nominate the Secretary and the Treasurer of the Society from amongst the members of the Executive Committee.

The office bearers of the Scheme shall meet at least once in two months or earlier if so deemed/expedient and necessary.

GOVERNING BODY :

The names, occupation and designation of the members of the Governing Body to whom the management of the Society is entrusted as required under Registration Act, 1973, as applicable to the State of M.P. are as follows :-

1. Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar,
   Chief Justice of Madhya Pradesh
   - Ex-officio Patron-in-Chief

मध्यम आय वर्ग योजना

1

यह योजना मध्यम आय वर्ग के नागरिकों को विधिक सहायता प्रदान करती है अर्थात् ऐसे नागरिक जिनकी कुल मासिक आय रू. 75,000/– (पचहत्तर हजार रूपये) या रू. 9,00,000/– (नौ लाख रूपये) प्रति वर्ष से अधिक न हो।

परिभाषा

(अ) इस योजना को **"मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता योजना"** के नाम से जाना जायेगा।
यह योजना स्वपोषित योजना है और योजना की आरंभिक पूंजी प्रथम कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदत्त की जावेगी।

(ब) **"समिति"** से अभिप्राय म.प्र. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) के अंतर्गत पंजीकृत "म.प्र. उच्च न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता सोसाइटी" से है।

फीस की अनुसूची

इस योजना के साथ फीस एवं व्यय की अनुसूची संलग्नानुसार लागू होगी, जो कि समिति द्वारा समय– समय पर संशोधित की जा सकेगी।

कार्यकारिणी समिति का गठन

योजना के पदाधिकारी – समिति के नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत (उच्च न्यायालय के) मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय में कार्यरत एक न्यायाधिपति को समिति का अध्यक्ष नामांकित करेंगे एवं महाधिवक्ता समिति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
सचिव एवं कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी समिति के ग्यारह सदस्य तीन वर्ष की अवधि हेतु कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे।
उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति अथवा उससे पूर्व म.प्र. के माननीय मुख्य न्यायाधीश जैसा भी उचित समझे, कार्यकारी समिति का पुनर्गठन कर सकते हैं।
माननीय मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी समिति के सदस्यों में से समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष नामांकित कर सकते हैं।
इस योजना के पदाधिकारी दो माह में कम–से–कम एक बार अथवा उससे पूर्व, जैसा आवश्यक प्रतीत हो, बैठक कर सकते हैं।

शासकीय निकाय –

म.प्र. राज्य में लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधान अनुसार शासकीय निकाय के सदस्यों के नाम, व्यवसाय एवं पदनाम, जिन पर समिति का प्रबंधन निहित है, निम्नानुसार होंगे–

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.एम. खानविलकर, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय – पदेन मुख्य संरक्षक
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन, प्रशासनिक न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय – पदेन अध्यक्ष

2. Hon'ble Mr. Justice Rajendra Menon, Judge, High Court of Madhya Pradesh - Ex-officio President
3. Mr. Ravish Agarwal, Advocate General - Ex-officio Vice-President
4. Mr. Alok Vagrecha, Advocate → 94244-50799. - Honorary Secretary
5. Mr. Siddharth Seth, Advocate - Honorary Treasurer
6. Mr. P.R. BhaveSenior, Advocate - Member
7. Smt. Sudha Pandit, Advocate - Member
8. Ms. Amrit Ruprah, Advocate - Member
9. Mr. Arpan J. Pawar, Advocate - Member
10. Mr. Shafiqullah, Advocate - Member
11. Mr. Anshuman Singh, Advocate - Member
12. Mr. Siddharth Gupta, Advocate - Member
13. Ms. Neelam Goel, Advocate - Member
14. Ms. Namrata Kesharwani, Advocate - Member

2

<u>The Scheme will be applicable for case intended to be filed in the High Court.</u>

3

The rates of fee payable to an Advocate or to a Senior Advocate (if engaged at the request of the litigant) will be such as indicated in the Schedule appended to this Scheme as applicable from time to time.

4

There will be a panel of Advocates including Advocate-on-Record under the Scheme.

The empanelled Advocates shall give an undertaking in writing that they will abide by the terms and conditions of the Scheme upon assignment of a case under the Scheme.

5

Every person who desires to avail of the services of an Advocate empanelled under the Scheme shall apply through the Secretary by an application in the prescribed form annexed hereto along with the relevant documents.

6

As soon as the papers are received/ presented in the office of the Society along with the eligibility certificate, the same should be assigned, as far as possible, to the Advocate-on-Record of the choice of the applicant under the scheme not later than one week.

7

In case, the Advocate after perusing the papers assigned to him opines that the case is not a fit case for pursuing

3. श्री रवीश अग्रवाल, महाधिवक्ता – पदेन उपाध्यक्ष
4. श्री आलोक वागरेचा, अधिवक्ता – सचिव (अवैतनिक)
5. श्री सिद्धार्थ सेठ, अधिवक्ता– कोषाध्यक्ष (अवैतनिक)
6. श्री पी.आर. भावे, वरिष्ठ अधिवक्ता – सदस्य
7. श्रीमती सुधा पण्डित, अधिवक्ता – सदस्य
8. सुश्री अमृत रूपराह, अधिवक्ता – सदस्य
9. श्री अर्पण जे. पवार, अधिवक्ता – सदस्य
10. श्री शफीकुल्लाह, अधिवक्ता– सदस्य
11. श्री अंशुमन सिंह, अधिवक्ता– सदस्य
12. श्री सिद्धार्थ गुप्ता, अधिवक्ता– सदस्य
13. सुश्री नीलम गोयल, अधिवक्ता – सदस्य
14. सुश्री नम्रता केशरवानी, अधिवक्ता – सदस्य

2

<u>यह योजना उच्च न्यायालय में दायर किये जाने वाले प्रकरणों के लिये लागू होगी।</u>

3

अधिवक्ता अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता को देय फीस की दरें (यदि पक्षकार की प्रार्थना पर नियुक्त किया गया हो) इस योजना के साथ समय–समय पर लागू संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

4

इस योजना के अंतर्गत एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड सहित अधिवक्ताओं का एक पेनल होगा।
पेनल में सम्मिलित अधिवक्ताओं को एक लिखित वचन पत्र देना होगा कि वे योजना के अधीन सौंपे गये प्रकरण पर योजना अनुसार नियमों व शर्तों का पालन करेंगे।

5

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अधिवक्ता विशेष की सेवायें प्राप्त करना चाहता हो उसे विहित प्रारूप में दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6

समिति के कार्यालय में योग्यता प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने/प्राप्त होने पर आवेदक की प्राथमिकता के अनुसार नियुक्त एडवोकेट– ऑन–रिकार्ड को जहां तक संभव हो एक सप्ताह से अनाधिक समय के भीतर सौंप दिये जावेंगे।

7

यदि अधिवक्ता प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन करने पर यह मत व्यक्त करता है कि प्रकरण उच्च न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं

before the High Court, the applicant will not be entitled to the benefit of the Scheme. Upon such an endorsement being made either upon the case papers or in any accompanying letter, the Society shall return the papers forthwith to the applicant within one week after deducting a sum of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred) towards service charges. The balance amount of service charges and the amounts which may have been deposited by the applicant with the Committee towards fee and expenses in the conduct of the case will be refunded forthwith by cheque. If the Advocate-on-Record after examining the matter is satisfied that it is a fit case to be proceeded with, then the Society will process the claim, if the applicant is eligible for legal aid under the scheme.

8

The view expressed by the Advocate-on-Record will be final in so far as the feasibility for obtaining the benefit of the Scheme is concerned.

9

The applicant may indicate any 3 names both in relation to the Advocate-on-Record or the arguing Counsel or the Senior Counsel, as the case may be, in the order of preference, from amongst the panel maintained by Society. The Society will endeavors to honour the choice indicated to the extent possible. However, the final right to assign the papers of the applicant under the Scheme to any Advocate-on-Record or the arguing Counsel or Senior Counsel will remain with the High Court Middle Income Group Legal Aid Society.

10

The Society will assign the cases to Advocates in equal number as far as practicable, exception being of specialized subject of the concerned Advocate and group matters. The group cases will be treated as one unit for disbursal of fees. The Advocate, however, will be entitled to drafting fees and actual expenses on case to case basis.

11

Any litigant desirous of availing the benefit of the Scheme shall have to fill up the form prescribed and accept all the terms and conditions contained therein.

12

The proforma shall also contain a schedule of fee and expenses as applicable from time to time. A sum of Rs. 500/- (per case) shall be payable to the High Court Middle Income Group Legal Aid Society (HCMIGLAS) as service charges. The schedule shall indicate the fee payable for various items of work and shall also indicate

है, तो आवेदक योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। वाद–दस्तावेजों अथवा संलग्न पत्र पर इस प्रकार का पृष्ठांकन किये जाने पर समिति द्वारा आवेदक के दस्तावेजों को एक सप्ताह के भीतर लौटा दिये जायेंगे और सेवा शुल्क के रूप में रू. 500/– (पांच सौ रूपये) की कटौती की जावेगी। आवेदक द्वारा वाद के संचालन में होने वाले समस्त व्ययों एवं शुल्कों के रूप में विनियोजन हेतु समिति के पास जमा शेष राशि तथा सेवा शुल्क आवेदक को चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। यदि मामले की जांच के पश्चात् एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड इस बात के प्रति संतुष्ट होते हैं कि प्रकरण उच्च न्यायालय में संचालन योग्य है और यदि आवेदक योजना के अधीन विधिक सहायता का पात्र है, तभी समिति प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

8

योजना के लाभ की उपयुक्तता प्राप्त करने के संबंध में एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड द्वारा व्यक्त मत अंतिम होगा।

9

समिति द्वारा निर्धारित पेनल में से आवेदक पैरवी के लिए कोई तीन नाम 'एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड' या 'जिरह अधिवक्ता' या 'वरिष्ठ अधिवक्ता' जैसा भी मामला हो, प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख कर सकता है। समिति यथा संभव बतायी गयी प्राथमिकता का सम्मान करने का प्रयास करेगी। हालांकि योजना के अधीन आवेदक के दस्तावेज को किसी भी 'एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड' या 'जिरह अधिवक्ता' या 'वरिष्ठ अधिवक्ता' को देने का अंतिम अधिकार "उच्च न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता समिति" में निहित होगा।

10

समिति जहां तक व्यावहारिक हो अधिवक्ताओं को समान संख्या में प्रकरण सौंपेगी। विशेष विषयों के संबंधित अधिवक्ता एवं सामूहिक मामले अपवाद स्वरूप होंगे। फीस के संदाय के लिये सामूहिक मामलों को एक इकाई की तरह माना जायेगा। हालांकि, अधिवक्ता प्रकरण दर प्रकरण प्रारूप तैयार करने हेतु फीस एवं वास्तविक व्यय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

11

कोई पक्षकार जो, योजना के लाभों को प्राप्त करने हेतु इच्छुक हो, उसे विहित फार्म भरना होगा एवं उसमें निहित समस्त शर्तों को स्वीकार करना होगा।

12

फीस की अनुसूची एवं व्यय जो समय–समय पर लागू किये जायें भी प्रारूप में सम्मिलित होंगे। उच्च न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता समिति को सेवा शुल्क के रूप में राशि रू. 500/– (प्रति मामला) देय होंगे। अनुसूची में विभिन्न कार्य अनुसार देय शुल्क की दरें, न्यायालय शुल्क की दरें व न्यायालय अभिलेख तैयार करने के लिये संदाय किये जाने वाले अनुमानित

the Court fees and the approximate expenses for preparation of the Court record.

13

The applicant shall have to deposit the fee indicated by the Secretary, which will be in accordance with the schedule attached to the Scheme. It is the Secretary, who will cause to register the case under the MIG Legal Aid Scheme and proceed to forward the papers to the Advocate-on-Record/Arguing Counsel/Senior Counsel on the panel for opinion as per the general or specific instructions of the President in that behalf.

In relation to the approximate expenses for preparation of the Court record, the Secretary, upon perusal of the papers, determine as to what would be the approximate amount necessary for the purpose of such preparation of the Court record, and in accordance with the schedule indicate the same to the applicant. If, however, for any reason, the amount which is due to the Advocate-on-Record under the scheme exceeds the amount indicated by the Secretary then the applicant will be duty bound to make good the difference upon the Secretary certifying it to be so under the Scheme within one week from the demand, failing which it will be open to the Society to return the case papers to the party after deducting all expenses and fees incurred by the Society or Advocate as the case may be.

14

That the Executive Committee of the Scheme will open an account with the Union Bank of India, High Court Campus in the name of "High Court Middle Income Group Legal Aid Society". The account will be operated by any three members of the Executive Committee, so authorised by the Committee; and the signature of any two shall be sufficient to operate the account.

15

All sums received under the scheme including grants in aid will be accounted for by a person to be nominated in that behalf and duly audited.

16

The amount so received under the Scheme will be used to defray all the expenses including the salaries and expenses duly approved by the Executive Committee.

17

A Contingent Fund of the Scheme will be created to meet the miscellaneous expenditure in connection with the case under the Scheme by requiring the applicant under the Scheme to deposit upto the stage of admission, a sum of Rs.500/- (Rupees Five Hundred) per case, for that purpose in addition to the charges

व्यय दर्शित होंगे।

13

आवेदक को सचिव द्वारा सूचित शुल्क जमा करना होगा, जो योजना से संलग्न अनुसूची अनुसार होगा। मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता योजना अंतर्गत मामलों को सचिव पंजीकृत करेगा एवं अध्यक्ष द्वारा दिये गये सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों
को पेनल के एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड/जिरह अधिवक्ता / वरिष्ठ अधिवक्ता को मत हेतु प्रेषित करेगा।

सचिव, न्यायालयीन अभिलेखों की तैयारी हेतु अनुमानित व्यय के संबंध में दस्तावेज के अवलोकन पश्चात् ऐसे न्यायालयीन अभिलेखों की तैयार हेतु अनुमानित आवश्यक राशि निर्धारित करेगा और अनुसूची अनुसार आवेदक को बतायेगा। हालांकि, यदि किसी कारण से योजना अंतर्गत एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड को देय राशि सचिव द्वारा बतायी गयी राशि से अधिक है तो आवेदक का यह कर्त्तव्य होगा कि ऐसी मांग के एक सप्ताह के भीतर राशि के अंतर का संदाय सुनिश्चित करे, जो सचिव द्वारा प्रमाणित हो। नियत समय में संदाय में असफल रहने पर समिति समस्त व्ययों एवं शुल्कों को जो समिति या अधिवक्ता द्वारा जैसा भी मामला हो, देय हों, राशि काटने के पश्चात् पक्षकार को प्रकरण के दस्तावेज वापिस करने हेतु स्वतंत्र होगी।

14

यह कि, योजना की कार्यकारी समिति, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, उच्च न्यायालय परिसर में **उच्च न्यायालय मध्यम आय वर्ग विधिक सहायता समिति** के नाम से खाता खोलेगी। खाता, कार्यकारी समिति के किन्ही तीन सदस्यों द्वारा संचालित होगा, जो कि इस हेतु समिति द्वारा अधिकृत किये जाएंगे एवं खाते के संचालन हेतु किन्ही दो के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगे।

15

योजना के अधीन अनुदान राशि को समाहित करते हुए प्राप्त समस्त राशियों का लेखा इस संबंध में नामांकित किये गये एक व्यक्ति द्वारा रखा जायेगा एवं लेखों को उचित रूप से अंकेक्षित किया जाएगा।

16

योजना के अधीन प्राप्त राशियां कार्यकारी समिति द्वारा उचित रूप से अनुमोदित वेतन एवं व्ययों को समाहित करते हुये समस्त व्ययों को अदा करने में प्रयोग की जाएगी।

17

योजनांतर्गत प्रकरण से संबंधित विविध व्ययों की पूर्ति हेतु एक आकस्मिकता निधि निर्माण किये जाने के उद्देश्य से आवेदक से योजनांतर्गत प्रकरण की स्वीकृति स्तर तक के लिये रू. 500/– (पांच सौ रूपये) प्रति प्रकरण की राशि की मांग की जा सकेगी, जो कि समिति को जमा किये गये शुल्क के अतिरिक्त

required to be deposited with the Society. Out of this contingent fund, the fee of the auditor for auditing the account, printing of forms of application, vakalatnama, affidavit of facts, postage, telephone/postal charges, binding of registers for maintaining account etc., shall be made. Thus at the time of submitting the case papers, the applicant will have to make payment of the estimated fee and expenses that are indicated by the Secretary as well as the miscellaneous expenses of Rs.500/- per case.

18

The initial expenses for printing of forms and other office expenses would be borne from the initial corpus of the Scheme.

19

What documents are required from the litigants in approaching the High Court - The applicants are required to submit the applications forms to the MIG Society along with full documentation. For instance, if he/she seeks to file a petition/appeal against the order of the subordinate Court, he/ she is required to submit a certified copy of the order of the concerned Court, Petition copy filed by him/her in that Court, copies of the subordinate Court judgments/order and other relevant documents. If these are in a language other than English, translated copies thereof as and when demanded.

20

On assigning the case to an Advocate under the Scheme, the applicant will be directed to deposit with the Society amount towards fees and expenses as per the schedule and as assessed by the Secretary. The payment to the Advocate or the service charges payable to the Scheme as stated in the schedule shall be in cash or bank draft.

The Advocate-on-Record shall submit his bill on the basis of the amounts prescribed in the schedule with regard to printing, Court fee and his appearance fee along with a copy of the filing memo in token of the proof of filing the Petition / Appeal for which the claim is made. The Advocate will inform the Society about the admission of any matter so that the party can be requested to pay the fee for processing the case, without which information it will not be possible for the Committee to recover the amount from the party and defray the payment to the Advocate on hearing of the case. The fee to the Advocate in regular matter shall be made on receipt of a bill from the Advocate at the time of the conclusion of the final hearing of the matter.

21

Once the case is assigned to an Advocate it will be the responsibility of the Advocate to deal with the matter as he/she deems fit in the interest of the client and the

होगी। इसके अतिरिक्त लेखा संपरीक्षण के लिये संपरीक्षक को देय शुल्क, आवेदन प्रारूपों के मुद्रण, वकालतनामा, शपथ–पत्र, डाक/दूरभाष शुल्क, लेखा निर्माण हेतु रजिस्टरों की जिल्दसाजी इत्यादि संबंधी व्यय भी आकस्मिकता निधि पर भारित होंगे। इस प्रकार प्रकरण के दस्तावेजों को सौंपने के दौरान आवेदक अनुमानित शुल्क एवं व्यय जो कि सचिव द्वारा बताये अनुसार हों, साथ–ही–साथ प्रकीर्ण व्यय रू. 500/– प्रति प्रकरण का भी संदाय करेगा।

18

प्रारूप के मुद्रण एवं अन्य कार्यालयीन व्यय योजना के प्रारंभिक कोष/निधि से वहन किये जाएंगे।

19

उच्च न्यायालय में संपर्क करने वाले पक्षकारों को किन दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी – आवेदकों को पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध याचिका/अपील प्रस्तुत करना चाहता/चाहती है तो उसे संबंधित न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति, न्यायालय में उसके द्वारा दाखिल की गयी याचिका की प्रति, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों की प्रति/आदेश एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। यदि वे दस्तावेज अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा में है, तो मांग पर अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

20

योजना अंतर्गत अधिवक्ता को प्रकरण सौंपने के पश्चात् आवेदक को निर्देशित किया जाएगा कि वह समिति की राशि के साथ अनुसूची अनुसार एवं सचिव द्वारा आंकलित शुल्कों एवं व्ययों को जमा करें। अधिवक्ता को संदाय अथवा अनुसूची में उल्लेखित योजनानुसार देय सेवा शुल्क दरें नगद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में होंगी।

एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड अनुसूची में विहित अनुसार मुद्रण, न्यायालय शुल्क एवं स्वयं के प्रतिनिधित्व करने संबंधी फीस, याचिका/अपील की प्रति बतौर सबूत देयक की मांग के साथ प्रस्तुत करेगा। अधिवक्ता न्यायालय द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किये जाने पर इसकी सूचना समिति को देगा, जिससे की पक्षकार को प्रकरण में तलवाना शुल्क जमा करने हेतु अनुरोध किया जा सके, सूचना के अभाव में समिति के लिये यह संभव नहीं होगा, कि पक्षकार से राशि वसूल की जा सके और अधिवक्ता को प्रकरण की सुनवाई पर संदाय अदा की जा सके। नियमित मामलों में अधिवक्ता को फीस का संदाय प्रकरण की अंतिम सुनवाई के पूर्ण होने पर अधिवक्ता द्वारा देयक प्रस्तुत किये जाने पर किया जावेगा।

21

अधिवक्ता को प्रकरण दे दिये जाने पर उसका उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने पक्षकार के हित में जैसा उचित समझे मामले में पैरवी करे एवं अधिवक्ता के लिये आवश्यक है कि वह अपने

Advocate is required to communicate directly with the litigant. The Society will not monitor the progress of the case. The Society will however, enquire into the grievance about the manner of handling of cases by any Advocate assigned with that case by the Society. That will be the limited liability of the Society. The Society will examine the complaint received in writing.

पक्षकार के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करें। समिति प्रकरण की प्रगति का निरीक्षण नहीं करेगी। हालांकि समिति द्वारा किसी अधिवक्ता को प्रकरण के दिये जाने पर प्रकरण के संचालन संबंधी शिकायत की जांच करेगी, जो कि समिति का सीमित उत्तरदायित्व होगा। समिति लिखित शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच करेगी।

22

The Advocates who are made members of the Governing Body or Executive Committee will not be empanelled so long as they hold that office. Similarly, the advocates attached to the office of those Advocates (Members of the Governing Body or Executive Committee) will not be empanelled or allotted any work. Provided, however, they would be entitled to continue with the cases already allotted to them/him before being nominated as member of the Governing Body or Executive Committee.

22

अधिवक्तागण जो कि शासकीय निकाय या कार्यकारी समिति, के सदस्य बनाये गये हैं, जब तक उस पद को धारित करते हैं, उनका नाम पेनल में सूचीबद्ध नहीं होगा। उसी तरह अधिवक्तागण जो उन अधिवक्तागणों (शासकीय निकाय या कार्यकारी समिति के सदस्यों) के कार्यालय से सम्बद्ध हैं, उनका नाम भी पैनल में सूचीबद्ध नहीं होगा अथवा उन्हें कोई कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। किन्तु वे उन प्रकरणों को जारी रखने के अधिकारी होंगे जो कि उनके शासकीय निकाय या कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में मनोनयन के पूर्व उन्हें आवंटित किये गये थे।

23

After a complaint is received by the Society from the litigant and/or the concerned Advocate against the litigant/Advocate then the Committee after enquiry may take such action as is deemed fit and necessary.

If the Advocate who is appointed under the Scheme is found negligent in the conduct of the case entrusted to him, then he will be required to return the brief together with the fee which may have been received by him from the applicant under the Scheme, with further liberty to the applicant to proceed personally against the Advocate as per law.

The Society would not be responsible for the negligent conduct of the case but the entire responsibility will that be of the Advocate vis-a-vis the client. The name of the Advocate would, however, be struck off from the panel prepared under the Scheme.

23

समिति द्वारा पक्षकार/संबंधित अधिवक्ता से शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् एवं/अथवा पक्षकार/अधिवक्ता के विरूद्ध जांच पश्चात् ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा उचित एवं आवश्यक हो।

यदि अधिवक्ता योजना के अधीन उसे सौंपे गये प्रकरण में उपेक्षा करने के आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे योजना के अधीन आवेदक से प्राप्त प्रकरण शुल्क सहित वापिस करना होगा। अधिवक्ता के विरूद्ध विधि अनुसार व्यक्तिगत कार्यवाही करने हेतु आवेदक स्वतंत्र होगा।

समिति प्रकरण में उपेक्षापूर्ण आचरण के लिये उत्तरदायी नहीं होगी किन्तु पक्षकार के प्रति अधिवक्ता की पूरी जबावदेही होगी। योजना के अधीन निर्मित पेनल से ऐसे अधिवक्ता का नाम हटा दिया जाएगा।

SCHEDULE OF FEE FOR ADVOCATE ON RECORD /ADVOCATES.

A) APPEARING ON BEHALF OF PETITIONER

1)Honorarium for drafting and filing Writ Petition /Appeal/Revision/Application including list of dates and miscellaneous application such as stay exemption, bail, condonation of delay including appearance, conferences with the party & also for drafting rejoinder affidavit and/or contesting matter after notice is issued by the Court and till the disposal of the matter and the notice stage including acting work and adjournment excluding final disposal at notice state.

....Consolidated Rs. 5,000/-

2) Honorarium for hearing of the matter at final disposal stage inclusive of adjournment, if any, and/or at appeal stage.

....Rs. 2000/- per day
upto a maximum of Rs. 6000/-

B) APPEARING ON BEHALF OF THE RESPONDENT

1)Honorarium for drafting counter affidavit/ statement of objection and all other necessary applications including application for vacating stay and appearance inclusive of all conferences, upto admission stage excluding final disposal at notice stage.

....Consolidated Rs. 5000/-

2) Honorarium for hearing of matter at final disposal stage including adjournment, if any, and / or at appeal stage.

....Rs. 2000/- per day
upto a maximum of Rs. 6000/-

C) HONORARIUM FOR SENIOR ADVOCATES

1)Honorarium for settlement of SLP/Writ Petition/Transfer Petition/Counter affidavit/Rejoinder Affidavit/Statement of objection including conference etc.

....Consolidated Rs. 2000/-

2) Honorarium for appearance at the admission stage/after notice.

....Rs. 5000/- per appearance
upto a maximum of Rs. 10,000/-

3) Honorarium for appearance at final disposal/appeal stage.

....Rs. 6000/- per appearance

अभिलेख अधिवक्ता (एडवोकेट–ऑन–रिकार्ड)/अधिवक्ताओं हेतु फीस की अनुसूची

अ. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत होने पर –

1) रिट याचिका/अपील/पुनरीक्षण/आवेदन के प्रारूप बनाने व दाखिल करने, तिथियों की सूची तथा प्रकीर्ण आवेदनों जैसे स्थगन, छूट, जमानत, उपस्थित को सम्मिलित करते हुये विलंब हेतु क्षमादान, पक्षकार के साथ विचार–विमर्श एवं प्रत्युत्तर शपथ–पत्र बनाने एवं न्यायालय द्वारा जारी सूचना के पश्चात् बहस हेतु मामले एवं प्रकरण के निराकरण होने तक एवं कार्यकारी कार्य एवं स्थगन को सम्मिलित करते हुये सूचना स्तर जिसमें नोटिस का अंतिम निराकरण सम्मिलित नहीं है, हेतु मानदेय।

समेकित राशि रू. 5,000/–

2) अंतिम निराकरण स्तर पर मामले की सुनवाई के लिये, स्थगन को मिलाते हुये, यदि कोई हो एवं/अथवा अपील स्तर पर मानदेय।

समेकित राशि रू. 2000/– प्रतिदिन
अधिकतम राशि रू. 6000/– तक

ब. प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत होने पर –

1) प्रत्युत्तर शपथ–पत्र के प्रारूप बनाने/आक्षेप कथन एवं अन्य समस्त आवश्यक आवेदनों जिनमें स्थगन रद्द करने एवं उपस्थिति समस्त सम्मेलनों को मिलाते हुये, विचारण स्तर पर अंतिम निस्तारण को अपवर्जित करते हुये स्वीकृति स्तर तक मानदेय।

समेकित राशि रू. 5,000/–

2) अंतिम निराकरण स्तर पर मामले की सुनवाई के लिये, स्थगन को मिलाते हुये, यदि कोई हो एवं/अथवा अपील स्तर पर मानदेय।

समेकित राशि रू. 2000/– प्रतिदिन
अधिकतम राशि रू. 6000/– तक

ग. वरिष्ठ अधिवक्ताओं हेतु मानदेय –

1) विशेष अनुमति याचिका/रिट याचिका/ स्थानांतरण याचिका/प्रत्युत्तर शपथपत्र/परामर्श सहित आपत्ति कथन हेतु मानदेय।

समेकित राशि रू. 2000/–

2) स्वीकृत स्तर पर/विचारण के पश्चात् पेशी हेतु मानदेय

समेकित राशि रू. 5000/–प्रति पेशी
अधिकतम समेकित राशि रू. 10000/– तक

3) अंतिम निस्तारण/अपील स्तर पर पेशी हेतु मानदेय

समेकित राशि रू. 6000/– प्रति पेशी

upto a maximum of Rs. 18,000/-

D) SCHEDULE RATES FOR OUT OF POCKET EXPENSES.

Photocopy charges
100 paisa per page
Steno charges
Rs. 10/- per page
Paper book binding
Rs. 15/- each

Computer typing (Ordinary print)

(i) For original computer print Rs. 10/- per page
(ii) For addl. Pages Rs. 1/- per page

Computer typing (Laser print)

(i) For original computer print Rs. 15/- per page
ii) For addl. Pages Rs. 1/- per page

Court fee payable on petition as per the High Court Rules, 2008 as amended up to date.

****

अधिकतम समेकित राशि रू. 18000/– तक

<u>घ. बाह्य खर्चों हेतु अनुसूची की दरें –</u>
प्रतिलिपि शुल्क – रू. 1/– प्रति पृष्ठ
आशुलिपि शुल्क – रू. 10/– प्रति पृष्ठ
अभिलेख पुस्तिका जिल्दसाजी – रू. 15/– प्रति जिल्दसाजी

कम्प्यूटर टंकण (सामान्य मुद्रण)
1) मूल कम्प्यूटर प्रति हेतु – रू. 10/–प्रति पृष्ठ
2) अतिरिक्त पृष्ठों हेतु – रू. 1/– प्रति पृष्ठ

कम्प्यूटर टंकण (लेजर मुद्रण)
1) मूल कम्प्यूटर प्रति हेतु – रू. 15/–प्रति पृष्ठ
2) अतिरिक्त पृष्ठों हेतु – रू. 1/– प्रति पृष्ठ

न्यायालय फीस, उच्च न्यायालय नियम, 2008 के अद्यतन संशोधन अनुसार याचिका पर देय होगी।

****

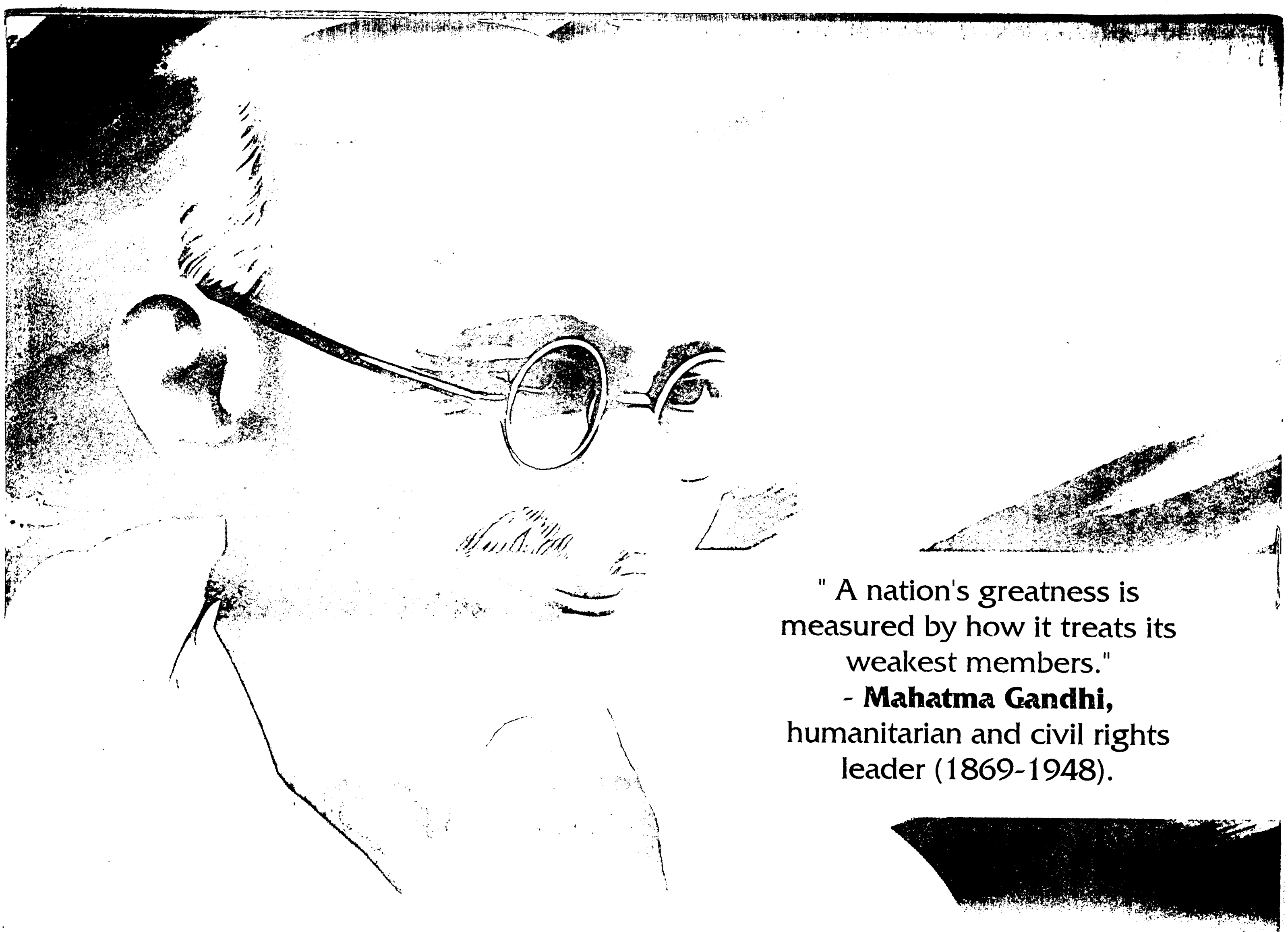

" A nation's greatness is measured by how it treats its weakest members."
- **Mahatma Gandhi,** humanitarian and civil rights leader (1869-1948).

बालक, बन्दी, निर्धन, मनोरोगी व महिला,
विधिक सहायता में इनका हक पहला।।

अब न्याय से कोई न वंचित होगा,
चाहे कितना भी निधंन होगा।।

मध्यम वर्ग अब आगे आये,
विधिक सहायता का लाभ उठायें।।

विधिक सहायता का फैला उजियारा,
मध्यम आय वर्ग को भी मिला सहारा;

Equal justice under law is [illegible] the Supreme Court building, it is perhaps the most [illegible] our entire legal system exists [illegible]

[illegible] President [illegible]